दिनांक 19.02.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – यथा संधारित।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो के साथ–साथ पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश के अनुपालन की निम्नवत समीक्षा की गयी :–

1. <u>मार्बल की छपाई –</u>

बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वप्रथम मार्बल की छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उक्त से संबंधित क्रय समिति की बैठक एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गयी है। संबंधित एजेंसी द्वारा मार्बल की छपाई की दर per page के आधार पर न करते हुए per बुक के अधार पर दिया गया था एवं इस त्रुटि का निराकरण आज ही करा लिया जाएगा। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि मंगलवार (दिनांक 23.02.2021) तक 60 एवं 7 दिनों के अन्दर सारे मार्बलों की छपाई का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।

2. <u>स्थापना संबंधी कार्य :–</u>

(i) पूर्व की बैठकों में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के संबंध में निदेश दिया गया था कि दिनांक 19.02.2021 को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की बैठक की जाय परन्तु उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका जो खेदजनक है। उक्त के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तैयार की गयी संबंधित विवरणी में चारित्री छुटा हुआ था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस लापरवाही के लिए संबंधित से कारण पृच्छा करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया। ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित बैठक की तिथि अगली बैठक के पूर्व निर्धारित करते हुए शीघ्र इस मामले का निष्पादन किया जाय।

(ii) पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में ए0डी0एफ0 स्कैनर के क्रय से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(iii) R2R सॉफ्टवेयर में स्कैनिंग का मॉड्यूल जोड़ दिया गया है एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु चयनित संविदा कर्मियों के फोल्डरों के 100–100 बंडलों में बाँटा जाय एवं उन फोल्डरों के स्कैनिंग का कार्य करते हुए सॉफ्टवेयर में अपलोड़ की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाय। उल्लेखनीय है कि उक्त फोल्डरों के प्रभारी जिनकी प्रतिनियुक्ति निदेशालय से समाप्त कर दी गयी है। अतः उन सभी फोल्डरों का प्रभार 07 दिनों के अधिकतम समय–सीमा में कराना सुनिश्चित किया जाय। यदि इस संबंध में यदि किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता हो तो शीघ्र निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाय।

(iv) निदेशालय अन्तर्गत बन्दोबस्त कार्यालयों के समीक्षा हेतु प्रतिवेदन बनाया जाना था जो अभी तक लम्बित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(v) अधोहस्ताक्षरी द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों एवं अन्य जिनका अवधि विस्तार से संबंधित मामला लम्बित है के संबंध में प्रस्ताव संचिका में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(vi) प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कर्मियों के अभाव के कारण निदेशालय के कार्य के सम्पादन में असुविधा हो रही है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कहा गया कि कार्य आवंटन तालिका में संशोधन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि संचिका अनावश्यक पृष्ठांकित न किया जाय इस संबंध में आवश्यक छानबीन कर ली जाय और यदि संचिका पृष्ठांकित होती है तो उसपर संबंधित द्वारा मंतव्य अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(vii) सर्वेक्षण कार्य हेतु संविदा अमीनों के योगदान की तिथि निर्धारित कर दी गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण करने का निदेश दिया गया। यदि इस संबंध में किसी प्रकार की संशय हो तो तुरंत विमर्श करें एवं आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कराना हो तो हाथो हाथ करा लें।

(viii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा माह–जनवरी में किये गए स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व की बैठकों में दिये गए निदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका है इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि वैसे स्थानान्तरित कर्मियों जिनका प्रस्ताव R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं उपलब्ध कराया गया है सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि कराते हुए R2R सॉफ्टवेयर में कर्मियों से संबंधित डाटा को अद्यतन करा लिया जाय।

(ix) अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी को कबाड़ हटाने से संबंधित शीघ्र आवश्यक कार्रवाई अगली बैठक के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया एवं इस संबंध में हुए विलम्ब के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का भी निदेश दिया गया।

(x) प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनका संबंध निदेशालय से नहीं है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि ऐसे पत्रों को अनावश्यक Deal न कर संबंधित कार्यालय को Forwarding लगाकर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाय।

(xi) अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी बन्दोबस्त कार्यालयों को पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया जिसमें उनके कार्यालय से संबंधित निदेशालय स्तर पर लम्बित सम्पूर्ण मामलों की विवरणी की मांग की जाय। यदि विवरणी प्राप्त नहीं होती है तो उसकी जिम्मेवारी संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी की होगी एवं यह समझा जायगा की उस बन्दोबस्त कार्यालय से शून्य मामला लम्बित है।

(xii) हेल्पलाईन संचालन के संबंध में निदेश दिया गया श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर अगले आदेश तक हेल्पलाईन का संचालन आवंटित कार्यो के अतिरिक्त करेंगी।

(xiii) प्रायः देखा जा रहा है कि कार्यालय में अधिष्ठापित दूरभाष प्रायः खराब रहते हैं जिसके कारण सरकारी कार्य के निष्पादन में काफी असुविधा हो रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त से दूरभाष महाप्रबंधक को सुचित किया जाय एवं अन्य विकल्प हेतु भी आवश्यक प्रस्ताव दिया जाय।

(xiv) बैठक में जानकारी दी गयी कि राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर के कर्मियों के वेतन का भुगतान लम्बित है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि कर्मी के भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई यथा आवंटन/विपत्र बनाना आदि सारी औपचारिकताएँ शीघ्र पूर्ण किया जाय।

3. **विभागीय कार्यवाही** – विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन में प्रगति लायी जाय। विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में निम्न जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	पूर्व में निष्पादित मामला	इस सप्ताह निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
विभागीय कार्यवाही	00	28	28	15	0	13
आरोप	01	52	52	15	0	37
सेवान्त लाभ	00	22	22	00	0	22

संबंधित द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बताया गया कि विभागीय कार्यवाही से संबंधित लम्बित मामला निम्न है–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप	अभ्युक्ति
1	श्री वासुकीनाथ प्रसाद, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	तीन सेवानिवृत्त कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का प्रस्ताव नहीं भेजने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
2	श्री दिलीप कुमार यादव, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	फर्जी अभिलेख का नकल निर्गत करने का आरोप।	अधिगम प्राप्त उपस्थापन
3	श्री देव नरायण लाल दास, उ0व0लि0			अधिगम प्राप्त उपस्थापन
4	मो0 शकील जमाली उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनुशासनहीनता, कार्यालय का कार्य अवरूद्ध करने एवं अभिलेखागार में ताला बन्द करने का आरोप।	अधिगम प्राप्त उपस्थापन
5	मो0 जया कासीफ, उ0व0लि0			
6	मो0 नासिर आलम, उ0व0लि0			
7	श्री आदित्यनाथ झा, नि0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	कदाचार पूर्ण आचरण वित्तीय अनियमितता का आरोप।	अधिगम प्राप्त उपस्थापन
8	श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यकारी प्रधान लिपिक	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनियमितता एवं उजरत भोगी अमीनों को चुपचाप अनुभव प्रमाण– पत्र निर्गत करने के संबंध में।	
9	श्री सुधीर कुमार दास, स0ब0प0			अधिगम प्राप्त
10	श्री चितरंजन कुमार दास, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	अभिलेख में हेरा–फेरी करने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
11	श्री अविनाश किशोर, नि0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर/खगड़िया	आदेशोल्लंघन के संबंध में।	
12	श्री राकेश कुमार सिन्हा, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	आदेश के अवहेलना आदि के संबंध में।	
13	श्री निरज कुमार सिंह, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा/प0चम्पारण (बेतिया)	अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, कार्य के प्रति अभिरुचि नहीं रखने तथा कर्मचारी/पदाधिकारी के साथ उदण्ड आचरण के संबंध में।	

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि जिस कार्यालय से अधिगम लम्बित है वहाँ स्मार देकर आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि शीघ्र प्राप्त हो सके एवं पाँच मामले का निपटारा अगली बैठक के पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. **सूचना के अधिकार से संबंधित** – पृच्छा करने पर बताया गया कि इससे संबंधित कुल 32 मामले पहले से लम्बित है एवं 17 नये मामले लम्बित है जिसके निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि यदि सूचना का अधिकार निदेशालय से संबंधित नहीं हो तो संबंधित कार्यालय को शीघ्र Transfer करना सुनिश्चित किया जाय।

5. **न्यायालय संबंधी कार्य :–** सी0डब्लू0जे0सी0, एम0जे0सी0, एल0पी0ए0 आदि मामलों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने का निदेश दिया गया। उक्त से संबंधित निम्न लम्बित मामला के संबंध में जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	इस सप्ताह निष्पादित	पूर्व में निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
सी0डब्लू0जे0सी0	00	32	32	01	25	06
एम0जे0सी0	00	05	05	0	02	03
एल0पी0ए0	00	03	03	00	03	00
अन्य मामला	00	00	00	0	0	00

सी0डब्लू0जे0सी0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:–

	वाद का प्रकार	वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर अंचलाधिकारी, समस्तीपुर सदर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में
2	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री लक्ष्मण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	पैतृक सम्पति मौजा बंसतपुर थाना न0 11 / समनपुरा थाना न0 12 भूमि विवाद के संबंध में।
3	C.M	W.P No. 35881 /2017	मोहन लाल शर्मा एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य		समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद के संबंध में
4	CWJC	CWJC No --------/2019	उज्जवल कुमार सुमन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	Mutation of Land
5	CWJC	CWJC No 9410/2018	विजय दूबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	
6	CWJC	CWJC No ..../2020	श्री हरेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के नियोजन

एम0जे0सी0 एवं एल0पी0ए0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:–

क्र0 सं0	वाद का प्रकार	वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	MJC	MJC No. ..../2019	मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	समाहर्त्ता, पटना	भुगतान के संबंध में।
2	MJC	MJC No. ..../2019	सब्बीर अहमद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	भुगतान के संबंध में।
3	MJC	MJC No. 4527/2019	रूकमणि कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	सेवानिवृत्ति लाभ

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन की गति काफी धीमी है। उक्त न्यायालय से संबंधित लम्बित मामलों का शीघ्र निष्पादन का निदेश दिया गया।

6. <u>लेखा संबंधी कार्य :–</u>

(क) अंकेक्षण दल द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण आपत्तियों के Compliance के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि सभी लम्बित आपत्तियों का निष्पादन कर दिया गया है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त से संबंधित पत्र में विलम्ब न कर इसी सप्ताह प्रेषित कर दिया जाय।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष इत्यादि के भुगतान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि संबंधित सारे विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है।

(ग) अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर के Admin Block एवं छात्रावास हेतु विद्युत मीटर अलग करने के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि उक्त हेतु अलग से ट्रान्सफरमर बैठाये जाने के पश्चात् ही अलग कनेक्शन किया जा सकेगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि बतायी गयी बात को लिखित रूप प्राप्त किया जाय ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

(घ) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशालय, बेल्ट्रॉन एवं बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से संबंधित लम्बित विपत्रों की सूची उपस्थापित करने हेतु दिये गए निदेश के आलोक में निदेशालय के संबंधित सहायक द्वारा ही सूची उपस्थापित की गयी। बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखापाल द्वारा लम्बित विपत्र की सूची समर्पित नहीं किये जाने के संबंध में बताया गया कि कोई विपत्र पेंडिंग नहीं है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि यदि कोई विपत्र लम्बित नही है तो इसकी सूचना लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि फरवरी माह के अन्त तक सभी लम्बित विपत्रों का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जाय।

(ङ) अधोहस्ताक्षरी द्वारा office 365 सॉफ्टवेयर क्रय के संबंध में पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ कि यह कार्य अभी भी लम्बित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि GEM के माध्यम से इसे क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(च) अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्राप्त पत्रों का निष्पादन एवं सभी कर्मियों का लॉग बुक की जाँच करते हुए प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन साप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराया जाय।

7. <u>आगत शाखा से संबंधित :–</u>

आगत शाखा एवं निर्गत शाखा के संबंध में निदेश दिया गया कि निदेशालय को प्राप्त/निर्गत पत्रों की कुल संख्या एवं सप्ताह में प्राप्त/निर्गत किये गए पत्रों की कुल संख्या एवं कितने पत्रों को डायरी/निर्गत कर संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है के संबंध में विवरणी हस्ताक्षर सहित अगली बैठक से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

8. <u>निर्गत शाखा से संबंधित :–</u>

निर्गत शाखा के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में कुल 1020 पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें दिनांक 06.02.2021 से दिनांक 19.02.2021 तक 650 पत्रों को निर्गत किया गया है। उक्त पत्रों को निबंधित डाक/सामान्य डाक/ ई–मेल के माध्यम से संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है।

9. **बजट से संबंधित**

वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है इस संबंध में निदेश दिया गया किया आवंटन एवं प्रत्यपर्ण के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाय।

10. **बेल्ट्रॉन से संबंधित**

अंचलों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि रिक्त अंचलों में प्रतिनियुक्ति हेतु 73 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की अधियाचना भेज दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि उनकी प्रतिनियुक्ति जिला स्तर पर संधारित पैनल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में बेल्ट्रॉन के प्रभारी, मानव संसाधन के साथ बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया। इस हेतु बेल्ट्रॉन के स्तर से सभी लम्बित मुद्दों से संबंधित एजेण्डा तैयार करने का निदेश दिया गया।

11. **बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट**

(क) आधुनिक अभिलेखागार के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि उक्त से संबंधित आवंटन उपलब्ध कराने के लिए 104 अंचलों का प्रस्ताव राज्य योजना मद से तैयार कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 22.02.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रस्ताव उपलब्ध कराकर इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाय। उल्लेखनीय है वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है एवं यदि इस कार्य में विलम्ब होता है तो आवंटित राशि के सरेंडर की संभावना अधिक होगी एवं कार्य प्रभावित होगा।

(ख) LGD कोड के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि इस संबंध में 20 जिलों को पत्र भेज दिया गया है। 08 जिलों से जबाव निदेशालय को प्राप्त हो चुका है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि शेष जिलों को स्मार पत्र प्रेषित किया जाय जहाँ से पत्र नहीं आया है एवं दूरभाष/मोबाइल से भी इस हेतु सम्पर्क कर Followup किया जाय। उक्त से संबंधित संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(ग) अधोहस्ताक्षरी द्वार जी0आई0एस0 सलाहकार हेतु RFP बनाने का निदेश दिया गया। इस हेतु जहाँ जी0आई0एस0 के होने की संभावना हो यथा रिमोट सेंसिंग, साईंस टेक्नोलॉजी आदि संबंधित संस्थानों से भी सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा तैयार किये गए जी0आई0एस0 से संबंधित RFP की प्रति प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(घ) एल0आई0एस0 के प्रभार से संबंधित पत्र निर्गत करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(ङ) अधोहस्ताक्षरी को जानकारी दी गयी कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किये गए चेक बाउंस के कारण के संबंध में जानकारी अभी तक निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में चेक बाउंस के कारण संबंधित नियमावली संलग्न करते हुए भेजे जाने के संबंध में स्मार पत्र प्रेषित करें एवं संबंधित एकाउंट को अन्यत्र Shift करने हेतु प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त मानचित्रों के डोर स्टेप डिलेवरी योजना के implementaion में भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवरोध किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। बैंक के पदाधिकारियों द्वारा उक्त महत्वपूर्ण योजना से संबंधित बैठकों में भाग लिया गया एवं आवश्यक सहयोग का आश्वासन भी दिया गया लेकिन वास्तविक रूप से कार्य करने के समय इनके द्वारा वही सारी प्रक्रियाएँ अपनायी गयी जैसे कि वे Government के साथ नहीं किसी Private Party के साथ Deal कर रहे हैं।

(च) बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखा से संबंधित सारे आंकड़े की प्रविष्टि टैली सॉफ्टवेयर में करने का निदेश दिया गया।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश जिसका अनुपालन नहीं हो सका है को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश एवं सभी कर्मियों को सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल होने के निदेश के साथ अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह)
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 26 / गो0 पटना, दिनांक 26-02-2021

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित कर्मी, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय / राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– 26 / गो0 पटना, दिनांक 26-02-2021

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक